

आदेश

तब गाम श्यामनगर पठ ह्य चौकडी तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज) अवस्थित ह्यि ह्य ख.नं. 2745/2 के राजस्व रिकार्ड में वादी व गलत दर्ज नाम " गुलाराम पुत्र फूलाराम " के स्थान पर वास्तविक व सही नाम " बजरंग लाल सैनी पुत्र फूलचन्द सैनी " दुरुस्त किया जात उस्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दशमक हो। वुसार प्रकरण में पर्चा डिकी जारी हो। फावली शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाव तक वाकिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 09/03/21 को मेरे द्वारा दस्तावेज पर न्यायालयी मुद्द खुले न्यायालय में सुनाया गया।



09/03/21
(शकेश कुमार)
RIS
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

दिनांक 01/3/2021 को पेश हो

3/2021
3/2021
3/2021
3/2021

पत्रावली पेश ह्यि वकील वादी उपर प्रकरण में तहसीलदार खण्डेला का जवाब शर कई पेशियों से लभित है लेकिन आज दिनांक तक जवाब पेश नहीं किया गया। अतः तहसीलदार खण्डेला का जवाब बंद किया जाता है। तदनुसार प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गयी। बहस बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष दावा डिकी फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात, पेशशुदा शपथ पत्र, सरपंच गाणपं चौकडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादी के दस्तावेजात तथा आधार कई, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोट आईडी कार्ड आदि में वादी का नाम बजरंग लाल ही दर्ज है तथा सरपंच गाणपं चौकडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी उक्त इरुस्ती हेतु अधिशेष की है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यमपर वाद, वादी स्वीकार किया

